न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)
:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 100/2019 (264/2020) ::
उनवान जयसिंह बनाम राजस्थान सरकार

1. जयसिंह पुत्र रामसिंह उम्र करीबन 63 साल जाति महाजन निवपासी ग्राम दादिया हाल निवासी 52—53 कल्याण कालोनी गौरव टावर के पास मालवीन नगर जयपुर जिला जयपुर राज.।
2. भरतसिंह पुत्र रामसिंह उम्र करीबन 63 साल जाति महाजन निवपासी ग्राम दादिया हाल निवासी 52—53 कल्याण कालोनी गौरव टावर के पास मालवीन नगर जयपुर जिला जयपुर राज.।

— प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

दिनांक 02/8/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर क्रमांक 100/2019 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण के कब्जे व काश्त की कृषि भूमि ग्राम दादिया में स्थित है जिसके खसरा संख्या 1076/1 व 1075 स्थित है जिसमें कृषि कार्य के लिये आवागमन के लिये केवल मात्र एक रास्ता है जो कि खसरा संख्या 1071 रकबा 02 बीघा 03 बीस्वा में से होकर आता है जो भूमि वर्तमान में सरकारी है जिसका स्वामित्व तहसीलदार के पास होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार भी प्रार्थीगण सार्वजनिक रास्ता ले सकतें है। प्रार्थीगण को उक्त खसरा संख्या 1071 में से आवागमन के लिये 30 फीट रास्ता दिलवाने की कृपा करें, प्रार्थीगण वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि वहन करने के लिये तैयार है।

दिनांक 05.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] शुदा नोटिस प्राप्त हुये तथा तहसीलदार अराई को मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार अराई को [illegible] जारी की गई। दिनांक 18.08.2023 को तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट प्राप्त हुई जि[illegible] तहसीलदार अराई द्वारा जाहिर किया कि वर्तमान सेग्रीकेशन जमाबन्दी के अनुसार ग्राम दादिया स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1076/1 व 1075 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1071 में से होकर जाने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त 30 फीट रास्ते के लिये अधिग्रहित रकबा 0.0551 हैक्टेयर होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

है जिसका मूल्य वर्तमान डी.एल.सी. दर 203938 रूपये प्रति हैक्टैयर के अनुसार 11237 अक्षरे ग्यारह हजार दौ सौ चौंतीस होता है।

हमारे द्वारा तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । दिनांक 02.02.2024 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

-: आदेश :-

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई द्वारा उक्त प्रकरण में रास्ते की अनुशंषा नहीं की गई है तथा रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर पडत है। खसरा संख्या 1071 खाता संख्या 01 में वर्णित सरकारी भूमि है प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी सरकारी भूमि में से कृषि कार्य हेतु आवागमन कर सकता है, यदि उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो प्रार्थी तहसीलदार अरांई के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश करें। अतः उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 251(क) के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02/8/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.26 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested